भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.: ई सी आई/प्रे.नो./56/2015 **दिनांक: 18 सितम्बर, 2015**

प्रेस नोट

विषय: बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2015- राजनैतिक दलों को रेडियो प्रसारण/दूरदर्शन प्रसारण समय का आबंटन-तत्संबंधी।

बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन-2015 में राजनैतिक दलों को रेडियो प्रसारण/दूरदर्शन प्रसारण समय के आबंटन के संबंध में आयोग द्वारा जारी दिनांक 18 सितम्बर, 2015 के आदेश संख्या 437/टीए-विस-2015//संचार की प्रति जन साधारण के सूचनार्थ संलग्न है।

ह./-

(धीरेन्द्र ओझा)

निदेशक

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0: 437/टी ए-वि स.2015/संचार　　　　　　　　　दिनांक: 18 सितम्बर, 2015

आदेश

वर्ष 1998 में लोक सभा के साधारण निर्वाचनों के समय, आयोग ने दिनांक 16 जनवरी, 1998 के अपने आदेश द्वारा राज्य के स्वामित्व वाले रेडियो तथा टेलीविजन के निःशुल्क प्रयोग के माध्यम से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के राज्यीय वित्त पोषण के लिए, आयोग के निदेशों के अधीन एक नई पहल का आरंभ किया था। तदनन्तर, उक्त योजना को वर्ष 1998 के पश्चात होने वाले राज्य विधान सभाओं के सभी साधारण निर्वाचनों और लोक सभा साधारण निर्वाचन 1999, 2004, 2009 तथा 2014 तक विस्तारित कर दिया गया था।

"निर्वाचन तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) अधिनियम, 2003'' और उसके अधीन अधिसूचित नियमों द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधनों के साथ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार के लिए समय की न्यायसंगत हिस्सेदारी का अब सांविधिक आधार है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39क के नीचे के स्पष्टीकरण के खंड(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने ऐसी सभी प्रसारण मीडिया जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या उसके द्वारा नियन्त्रित या उसके द्वारा पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में उपलब्ध करवाई गई निधियों से वित्त पोषित हैं, को उस धारा के प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में अधिसूचित किया है। अतः प्रसार भारती निगम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय की न्यायोचित हिस्सेदारी की उक्त योजना को बिहार विधान सभा के आगामी साधारण निर्वाचन, 2015 पर भी इसे लागू करने का आयोग ने निर्णय लिया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के संबंध में रेडियो प्रसारण समय और दूरदर्शन प्रसारण समय के प्रयोग की सुविधा केवल 'राष्ट्रीय दलों' और 'मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों' को ही उपलब्ध होगी।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

1. यह सुविधा आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रादेशिक केन्द्रों से तथा बिहार क्षेत्र के मुख्यालयों में उपलब्ध होगी और बिहार के अंदर अन्य स्टेशनों द्वारा प्रसारित की जाएगी।

दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण हेतु आबंटित समय:

2. बिहार में दूरदर्शन नेटवर्क और आकाशवाणी नेटवर्क के प्रादेशिक केन्द्रों पर प्रत्येक राष्ट्रीय दल और मान्यता प्राप्त राज्यीय दल (बिहार के संबंध में मान्यता प्राप्त) को एक समान 45 मिनट का बेस टाइम दिया जाएगा।

3. बिहार के पिछले विधान सभा निर्वाचनों में दलों के प्रदर्शन के आधार पर दलों को आबंटित किए जाने वाले अतिरिक्त समय के बारे में निर्णय लिया गया है।

4. प्रसारण के एकल सत्र में किसी भी पार्टी को 15 मिनट से अधिक का समय आबंटित नहीं किया जाएगा।

दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण की तारीख

5. बिहार में रेडियो प्रसारण और टेलीविजन प्रसारण की अवधि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख और मतदान की तारीख से दो दिन पहले के बीच की अवधि होगी।

6. प्रसार भारती निगम, आयोग के परामर्श से रेडियो प्रसारण और दूरदर्शन प्रसारण हेतु वास्तविक तारीख और समय का निर्धारण करेगा। यह दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के पास उपलब्ध वास्तविक प्रसारण समय को विनियमित करने वाले व्यापक तकनीकी प्रतिबंध के अध्यधीन होगा।

प्रसारित की जाने वाली सामग्री की प्रतिलिपि अग्रिम रूप से प्रस्तुत करना

7. दूरदर्शन प्रसारण और रेडियो प्रसारण हेतु आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। **दलों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे प्रतिलिपि और रिकार्डिंग को अग्रिम रूप से प्रस्तुत करें।** दल इसे प्रसार भारती निगम द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों को पूरा करने वाले स्टूडियो में या दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों में अपनी लागत पर रिकार्ड करवा सकते हैं। विकल्प के रूप में वे अग्रिम अनुरोध द्वारा दूरदर्शन और आकाशवाणी पर भी रिकार्ड करवा सकते हैं। ऐसे मामलों में, ये रिकार्डिंग राज्यीय राजधानी में दूरदर्शन/आकाशवाणी द्वारा अग्रिम रूप से इंगित समय पर की जाएंगी।

पेनल परिचर्चा और वाद-विवाद

8. दलों द्वारा प्रसारण के अतिरिक्त, प्रसार भारती निगम दूरदर्शन/आकाशवाणी के केन्द्रों/स्टेशनों पर अधिकतम दो पेनल परिचर्चाएं और/या वाद-विवाद आयोजित करवाएगा। ऐसे कार्यक्रम के लिए प्रत्येक पात्र दल अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है।

9. भारत निर्वाचन आयोग प्रसार भारती निगम के परामर्श से ऐसी पेनल परिचर्चाओं और वाद-विवाद के लिए संयोजकों के नामों का अनुमोदन करेगा।

दूरदर्शन प्रसारण/रेडियो प्रसारण में अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश

10. दूरदर्शन/आकाशवाणी पर निम्नलिखित टेली प्रसारण/रेडियो प्रसारण को अनुमति नहीं दी जाएगी:

(क) अन्य देशों की निंदा;

(ख) धर्मों या समुदायों पर हमला;

(ग) ऐसा कुछ भी अश्लील या अपमान जनक;

(घ) हिंसा भड़काना;

(ङ) ऐसा कुछ जिससे न्यायालय की अवमानना हो;

(च) राष्ट्रपति और न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा के प्रति निन्दा;

(छ) ऐसा कुछ भी जो देश की एकता, सम्प्रभुता और अखण्डता को प्रभावित करता हो;

(ज) किसी व्यक्ति का नाम लेकर कोई आलोचना।

दलों के लिए टाइम वाउचर्स

11. 1 मिनट से 4 मिनट तक के समय आबंटन के एक वाउचर सहित टाइम वाउचर्स 5 मिनट के समय वर्ग में उपलब्ध होंगे और दल उसे अपनी सुविधानुसार मिलाने के लिए स्वतन्त्र होंगे। विभिन्न राजनैतिक दलों को समय का आबंटन संबंधी विवरण एतद्द्वारा संलग्न है।

आदेश से,

(धीरेन्द्र ओझा)

निदेशक

बिहार की राज्य विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2015

दूरदर्शन/आकाशवाणी के प्रादेशिक केन्द्रों/राज्यीय राजधानी केन्द्रों पर राष्ट्रीय दलों एवं राज्यीय दलों के लिए उपलब्ध समय

राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय/ राज्यीय दल का नाम	कुल आबंटित समय, मिनटों में		जारी किए गए टाइम वाउचरों की संख्या	
		आकाशवाणी प्रसारण	दूरदर्शन प्रसारण	आकाशवाणी प्रसारण	दूरदर्शन प्रसारण
बिहार	बी जे पी	137	137	27 (प्रत्येक 5 मिनट)+1(2 मिनट)	27 (प्रत्येक 5 मिनट)+1(2 मिनट)
	बी एस पी	63	63	12 (प्रत्येक 5 मिनट)+1 (3 मिनट)	12 (प्रत्येक 5 मिनट)+1(3 मिनट)
	सी पी आई	55	55	11 (प्रत्येक 5 मिनट)	11 (प्रत्येक 5 मिनट)
	सी पी आई (एम)	49	49	9 (प्रत्येक 5 मिनट)+1(4मिनट)	9 (प्रत्येक 5 मिनट)+1(4मिनट)
	आई एन सी	92	92	18 (प्रत्येक 5 मिनट)+1(2 मिनट)	18 (प्रत्येक 5 मिनट)+1(2 मिनट)
	एन सी पी	55	55	11 (प्रत्येक 5 मिनट)	11 (प्रत्येक 5 मिनट)
	जे डी (यू)	171	171	34(5 मिनट प्रत्येक)+1(1मिनट)	34(5 मिनट प्रत्येक)+1(1मिनट)
	एल जे पी	83	83	16 (5 मिनट प्रत्येक)+1(3मिनट)	16 (5 मिनट प्रत्येक)+1(3मिनट)
	आर जे डी	150	150	30(5 मिनट प्रत्येक)	30(5 मिनट प्रत्येक)
	आर एल एस पी	45	45	9 (5 मिनट प्रत्येक)	9 (5 मिनट प्रत्येक)
	कुल	900	900		

राजनैतिक दलों की सूची

क्रम सं.	संक्षिप्त नाम	स्थिति	दल का नाम
1.	बी जे पी	राष्ट्रीय दल	भारतीय जनता पार्टी
2.	बी एस पी	राष्ट्रीय दल	बहुजन समाज पार्टी
3.	सी पी आई	राष्ट्रीय दल	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया
4.	सी पी आई (एम)	राष्ट्रीय दल	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट)
5.	आई एन सी	राष्ट्रीय दल	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
6.	एन सी पी	राष्ट्रीय दल	नेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी
7.	जे डी (यू)	राज्यीय दल	जनता दल (यूनाईटेड)
8.	एल जे पी	राज्यीय दल	लोक जन शक्ति पार्टी
9.	आर जे डी	राज्यीय दल	राष्ट्रीय जनता दल
10.	आर एल एस पी	राज्यीय दल	राष्ट्रीय लोक समता पार्टी